

NHB (ND)/DRS/Misc. Circular No.11/2012
December 18, 2012



All Registered Housing Finance Companies (HFCs)

Dear Sirs,

Participation of HFCs in Repo transactions in Corporate Debt. Securities

As you are aware, National Housing Bank has vide its Circular No. 53 dated October 26, 2012, allowed housing finance companies (HFCs) not accepting/holding public deposits, having asset size of Rs 100 crore and above and registered with the National Housing Bank, to participate in repo transactions in corporate debt securities as per the Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.

In this regard, you are requested to inform us whether your company has participated in repo transactions in corporate debt securities.

Yours faithfully,

(G. N. Somdeve)

Assistant General Manager



राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

राआबैंक(नदि)/डीआरएस/विविध परिपत्र सं.11/2012

18 दिसंबर, 2012

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां (एचएफसीज)

महोदय,

कंपनी कर्ज प्रतिभूति में रेपो अंतरण में आ.वि.कं. की सहभागिता

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 को जारी राष्ट्रीय आवास बैंक के परिपत्र संख्या 53 के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां जो 100 करोड़ रु. या इससे अधिक आस्ति आकार वाली एवं आम जमाओं को स्वीकार/ धारित न करनेवाली है, वे समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा निर्देशों/मार्ग निर्देशों के अनुसार कंपनी कर्ज प्रतिभूति में रेपो अंतरण में भाग ले सकती हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में, आपसे अनुरोध है कि कृपया यह बताएं कि आपकी कंपनी ने कंपनी कर्ज प्रतिभूति में रेपो अंतरण में भाग लिया है या नहीं।

भवदीय,

(जी.एन.सोमदेवे)

सहायक महाप्रबंधक